संख्या-47/2017-1906 ई-2/तेरह-2017-112/2017

प्रेषक,

सुहास एल0वाई0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 28 सितम्बर,2017

विषय:-मेसर्स त्रिवेणी आसवनी, मुजफ्फरनगर के पी0डी0-2 अनुज्ञापन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर से बढाकर 330 कार्यदिवस के आधार पर 528 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-35/दो-प्रा0डी0-111, दिनांक 01 अगस्त,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01 अगस्त,2017 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं दी गई अनापत्ति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स त्रिवेणी आसवनी, मुजफ्फरनगर की स्थापित 160 किली0 प्रतिदिन क्षमता की आसवनी को 330 कार्यदिवस के आधार पर चलाने की अनुमति प्रदान करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 528 लाख लीटर वार्षिक करने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी की क्षमता वृद्धि की अन्तिम स्वीकृति जारी करने से पूर्व बायोकम्पोस्टिंग हेतु 12.6 एकड़ का पूर्ण क्षेत्रफल आसवक द्वारा कवर करा लिया जायेगा तथा इकाई द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों, मा0 न्यायालय के सम्बन्धित आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तों एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुहास एल0वाई)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in